दस रुपये TEN RUPEES   पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय सम्मानीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, सागर म0 प्र0

निग/3584-II-15

संतोष सिंह पिता श्री नारायण सिंह दांगी,

निवासी- ग्राम भीलोन तहसील खुरई,

जिला- सागर " म.प्र."

-- आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

श्री गनेन्द्र सिंह अधि० द्वारा केम्प सागर में दि. 29-10-15 को प्रस्तुत / 29-10-15

1. सूरज सींग पिता बेनीप्रसाद दांगी,

2. पुरस्कार पिता बेनीप्रसाद दांगी,

3. पवन पिता बेनीप्रसाद दांगी,

तीनों निवासी- ग्राम भीलोन तह0 खुरई जि. सागर

-- अनावेदक/प्रतिपरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्र0 क्र0 46अ/6 वर्ष 14-15 में पारित आलोच्य आदेश दिनाँक 30/9/2015 से दुखित होकर अन्य आधारों सहित निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है :-

1. यह कि, विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश असंगत दूषित एवं अविधिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है

2. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय यह नहीं देखा गया कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खुरई द्वारा गुणागुण पर आदेश पारित किया गया है, उसमें सभी हितबद्ध लोगों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर सभी पक्षों की साक्ष्य ली जाकर अंतिम आदेश पारित किया गया है, इस

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3587-II/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
9–2–2016	मैने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया । प्रकरण वसीयत के आधार पर निगराकार के पक्ष में नामांतरण से उद्भूत है, जिसके विरूद्ध त्रुटि सुधार के आवेदन को तहसीलदार द्वारा निरस्त किए जाने पर, अनुविभागीय अधिकारी ने गैरनिगराकारों की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश दिनांक 30–9–15 से निगराकार की अपील खारिज की । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत हुआ । निगरानी मेमो एवं आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने पर मैं यह पाता हूँ कि अपर आयुक्त द्वारा उनका आदेश स्पष्ट एवं बोलते स्वरूप में, कारण एवं आधार दर्शाते हुए पारित किया है । उन्होंने यह लिखा है कि विचारण न्यायालय ने त्रुटि सुधार के आवेदन का विधिवत निराकरण किए बगैर नामांतरण स्वीकार किया जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था, और यह भी कि धारा 115 116 के आवेदन प्राप्त होने पर धारा 110 की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, और निगराकार को धारा 110 के तहत पृथक आवेदन तहसीलदार को देना चाहिए था । मैं अपर आयुक्त के ये निष्कर्ष उपयुक्त और विधिसंगत पाता हूँ। फलस्वरूप आक्षेपित आदेश दिनांक 30–9–15 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता और उसे स्थिर रखते हुए यह निगरानी	

अग्राह्य करता हूँ ।

आदेश पारित ।

पक्षकार सूचित हों ।

प्रकरण समाप्त । दा0द0 हो ।

9.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य